सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 10 चैत्र, 1945 (श०) / 31 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 113

(1)	ऊर्जा विभाग	..	..	22
(2)	स्वास्थ्य विभाग	..	..	52
(3)	पर्यटन विभाग	..	..	17
(4)	आंपदा प्रबंधन विभाग	..	..	10
(5)	योजना एवं विकास विभाग	..	..	05
(6)	विधि विभाग	..	..	05
(7)	संसदीय कार्य विभाग	..	..	02
			कुल योग --	113

आश्रितों को सरकारी मुआवजा

*2780. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत चकलाल शाही ग्राम में 7 अगस्त, 2012 को राजेश्वर साह, पिता-रामचन्द्र साह की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गयी थी जिसका कांड संख्या 612/12, ताजपुर थाना है परन्तु मृतक के परिजनों को अभीतक सरकारी मुआवजा प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0, दिनांक 17 अप्रील, 2015 द्वारा मानवजनित सामुहिक दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा के रूप में अधिसूचित करते हुये दिनांक 20 मार्च, 2015 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धरित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान अनुमान्य किया गया है ।

प्रश्नगत मामले में दुर्घटना की तिथि (7 अगस्त, 2012) उक्त अधिसूचना के प्रभावी होने से पूर्व का है । अतएव इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

अन्यत्र स्थानान्तरण करना

*2781. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर) क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर के प्रभारी उपाधीक्षक विगत 5 वर्षों से अधिक दिनों से पदस्थापित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमण्डलीय अस्पताल, जगदीशपुर एवं रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर के प्रभारी उपाधीक्षक रहते हुए कुमार रोहित उर्फ बब्लु सिंह को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं लापरवाही के लिए क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना द्वारा प्रभारी उपाधीक्षक के पद से विमुक्त कर निलंबित कर दिया गया था, परन्तु पुनः सिविल सर्जन, भोजपुर ने इन्हें प्रभारी उपाधीक्षक बना दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभारी उपाधीक्षक का स्थानान्तरण भोजपुर जिले से अन्यत्र जिले में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इंटर्नशिप स्टाइपेंड देना

*2782. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के ज्ञापांक U.15024/4/4/2022-UGMEB, दिनांक 4 मार्च, 2022 एवं तत्संबंधी अनुस्मारक ज्ञापांक U.15024/01/2022-UGMEB, दिनांक 19 मई, 2022 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार बिहार राज्य में इंटर्नशिप करने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को 15,000 (पन्द्रह हजार) दिया जाना है परन्तु छात्रों को नामांकन के समय इंटर्नशिप फीस लेकर नामित किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी छात्रों को नामांकन फीस वापस करते हुए इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि की स्वीकृति

2783. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जनवरी, 2023 में प्रकाशित शीर्षक "कोरोना संक्रमण से हुई मौत के 4200 और मामले आये" के आलोक में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण से मौत के 4200 मामले ऐसे हैं, जिन्हें अनुदान राशि का भुगतान नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक 13 हजार 99 लोगों को अनुदान राशि मिल गया है लेकिन शेष बचे 4200 लंबित मामला को मिलाकर मृतकों की संख्या 17 हजार से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे 4200 कोरोना से मृत व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान राशि देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

दोषी पर कार्रवाई

*2784. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पहाड़पुर प्रखंडान्तर्गत ग्राम-लगुनिया के बी0पी0एल0 परिवार श्री सुरेन्द्र महतो का उपभोक्ता संख्या 12820045438 एवं 12820023847, दुखी महतो का उपभोक्ता संख्या 12820045872 एवं 12820023836, मिट्ठू प्रसाद का उपभोक्ता संख्या 12820023825 एवं 12820045802, गोरख प्रसाद का उपभोक्ता संख्या 12820045805 एवं 12820023828 सहित सैंकड़ों ग्रामीण को वर्ष 2020-21 से ही दो-दो उपभोक्ता बनाकर बिल निर्गत किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता परेशान है, यदि हाँ, तो सरकार पूरे ग्राम में एक व्यक्ति के नाम एक उपभोक्ता बनाकर विद्युत् बिल निर्गत करने एवं दोषी व्यक्ति को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् सब-स्टेशन बनाना

*2785. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड अन्धराठाढी कमला नदी के दोनों भाग पर अवस्थित है, जिसके गाँव गंगद्वार, मैलाम, तिलई एवं कवारपट्टी में झंझारपुर अनुमंडल से बिजली मिलती है जिसकी दूरी 22 किलो मीटर रहने के कारण उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज बिजली मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अतिरिक्त विद्युत् सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्थापित कराना

*2786. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सदर प्रखंड जहानाबाद के लरसा पंचायत मुख्यालय में स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक लरसा गाँव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्थापित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कभरयुक्त तार लगाना

*2787. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के कटैया गाँव में महादलित टोला सहित पूरे गाँव में नंगा तार एवं बाँस के पोल के माध्यम से बिजली सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, यदि हाँ,, तो सरकार कबतक उक्त गाँव में बाँस के पोल को बदलने तथा नंगा तार के जगह कभरयुक्त तार लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिजली लोड में सुधार की कार्रवाई

*2788. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 02 मार्च, 2023 में छपी खबर के शीर्षक ''कितनी गर्मी झेल सकेगी बिजली, पिछले साल 6738 मेगावाट खपत पहुंचते ही हांफने लगे थे फीडर'' के आलोक में क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिजली कंपनियों के सप्लाई में तकनीकी समस्या के कारण वर्ष 2022 के गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति 22 घंटे से घटाकर 16 घंटे हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि मानक के अनुसार 11 के0वी0 फीडर पर अधिकतम 15 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होने चाहिए, लेकिन राज्य में 20 से ज्यादा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के हित में राज्य में 11 के0वी0 और 33 के0वी0 के फीडरों पर लोड में सुधार के लिए कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना

*2789. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-51 सिकटी)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकाँटा प्रखंड के डुमरिया पंचायत में सुन्दरी मठ में एक शिव मंदिर है, जहाँ लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि में विभिन्न राज्यों तथा पड़ोसी देश नेपाल से पुजा तथा दर्शन करने पहुंचते हैं तथा यह मंदिर बिहार सरकार के धार्मिक न्यास बोर्ड से पंजीकृत हैं, जिसकी पंजीयन संख्या 20/62 है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान

*2790. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अंतर्गत भूपभैरो पंचायत के वार्ड नं0 12 निवासी नवल किशोर गिरी, इन्दल किशोर गिरी एवं सत्येन्द्र गिरी के घर में दिनांक 24 अप्रील, 2016 को आगजनी की घटना हुई थी, जिसकी प्राथमिकी सीतामढ़ी थाना में एस0डी0ई0 नं0 783/16 दिनांक 24 अप्रील, 2016 के रूप में दर्ज है एवं सीतामढ़ी थाना द्वारा निर्गत पत्रांक 1025, दिनांक 14 जून, 2016 में आगजनी में हुई क्षति की सूची का उल्लेख है परंतु अबतक पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*2791. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज प्रखंडान्तर्गत मलाही ग्राम के आदित्य कुमार (उपभोक्ता संख्या 128203911133) द्वारा नये ग्रामीण विद्युत् कनेक्शन (NDS1) हेतु दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को आवेदन के साथ राशि जमा किये जाने के उपरान्त अवर विद्युत् प्रमंडल, अरेराज द्वारा कनेक्शन प्रदान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री कुमार के नाम घरेलू NDS1 टैरिफ की जगह NDS2 टैरिफ का बिल दिनांक 2 फरवरी, 2022 को 8027/- रु0, 2500/-जमा करने के पश्चात् 31 मार्च, 2022 को 5806/- रु0, 28 नवम्बर, 2022 को 1,19,048/- रु0 एवं 2 दिसम्बर, 2022 को 1,20,835 रु0 भेजा गया है, जो अप्रत्याशित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार घरेलू ग्रामीण NDS1 टैरिफ की जगह शहरी NDS2 टैरिफ में भेजे गये अप्रत्याशित बिल को संशोधित करने एवं इसके लिए दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कटौती की गयी राशि वापस दिलाना

*2792. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के कर्मियों को बिहार सेवा संहिता के तहत आकस्मिक या अन्य अवकाश देय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान में कर्मियों द्वारा आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए आवेदन देने के बावजूद इनके मासिक वेतन से कटौती कर ली जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को बिहार सेवा संहिता के तहत देय अवकाश सुविधा के आवेदन देने के बाद भी वेतन से कटौती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कर्मियों के कटौती किये गये राशि को वापस दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*2793. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सात निश्चय योजना अंतर्गत लगभग 20 जिलों में संचालित किए जा रहे पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना पारा मेडिकल/पारा डेंटल नियमावली 2005 के अनुसार की गई है जिसमें ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है जबकि छात्रों का नामांकन ले लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पारा मेडिकल/पारा डेंटल शिक्षा नियमावली 2005 के नियमानुसार Tutor, Demonstrator Lecturer और विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सोलर द्वारा विद्युत् उत्पादन

*2794. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले वारिसलीगंज प्रखंड अंतर्गत अपसढ़ गांव में 100 एकड़ का एक विशाल सरकारी तलाब है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त तालाब के उपर सोलर प्लेट लगाकर वृहत पैमाने पर विद्युत् उत्पादन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नये तार लगाना

*2795. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड अन्तर्गत रौना पंचायत के पलाकी सुलतानी ग्राम में तार जर्जर है, पोल के स्थान पर ग्रामीणों द्वारा बांस-बल्लों के द्वारा घरों में बिजली जलाई जा रही है जबकि प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यपालक अभियंता को सात माह पूर्व में लिखित अनुरोध करने के बावजूद भी अभी तक उक्त दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में बांस-बल्लों के स्थान पर पोल एवं जर्जर तार के स्थान पर नये तार लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला चिकित्सकों को पदस्थापित करना

*2796. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिहपुर में चिकित्सा एवं महिला चिकित्सकों की कमी के कारण क्षेत्र की एक लाख से अधिक जनसंख्या को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कभरयुक्त तार लगवाना

*2797. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत वीरनगर पश्चिम के वार्ड नं० 6 में दिनांक 7 फरवरी, 2023 को रात्रि में 9 बजे बिजली का पुराना तार गलकर गिरने से मो० एखलाख अहमद, मो० एकराम, मो० हेदर अली के घर में आग लग गया जिससे 4 घर, 5 बकरी, 1 गाय तथा अन्य उपयोगी समान जलने से पाँच लाख रुपये से अधिक की तत्काल क्षति हो गयी, यदि हाँ, तो सरकार वीरनगर पश्चिम, वीरनगर पूरब तथा विषहरिया जैसे घनी आबादी वाले पंचायतों में बिजली के वर्षों पुराने और जर्जर तार को कभरयुक्त तार में बदलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल को पुराने स्थान पर संचालित करना

*2798. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शहर के बीच थाना एवं रेलवे स्टेशन के करीब चल रहा था, जहाँ सुरक्षा एवं व्यवस्था जनहित में था एवं भूमि भी पर्याप्त था, जिसे शहर से काफी दूर तथा सुनसान जगह पर जहां बरसात में जल-जमाव, मरीजों को लेकर जाने में कठिनाई तथा रात में असुरक्षा की संभावना भी रहती है, एवं जमीन भी कम है, संचालित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल को पुराने स्थान पर लाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2799. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अन्तर्गत पिपरा विधान सभा के प्रखंड पिपरा, पंचायत रतौली के स्वास्थ्य उप-केन्द्र, झरका भवनहीन है तथा उक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्र के भवन हेतु बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक स्वास्थ्य उप-केन्द्र के नये भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अन्यत्र स्थानान्तरण कराना

*2800. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखण्ड मुख्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ० शिव शंकर मेहता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं विजय कुमार सिंह एच०आई०भी० एड्स परामर्शी इसी प्रखण्ड के निवासी हैं, जो विगत् 15 वर्षों से यहां पदास्थापित है तथा सिविल सर्जन कार्यालय, मधुबनी के पत्रांक 01, दिनांक 14 मई, 2022 द्वारा इनके विरुद्ध अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार जाँच कराकर दोनों पदाधिकारियों की अन्यत्र स्थानान्तरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आई०सी०यू० की व्यवस्था

*2801. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत मातृत्व शिशु अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों के लिये आई०सी०यू० नहीं है और यहां पर्याप्त संख्या में चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने के कारण लोगों को इलाज कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पर्याप्त संख्या में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कराते हुये आई०सी०यू० की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पीड़ित परिवार को मुआवजा

*2802. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत दरौली प्रखंड के पंचायत दरौली टोला-टोका के विनोद चौहान, पिता-श्री रामप्रवेश चौहान की पत्नी बबुन्ती देवी के तीन बच्चे 1. युवराज कुमार, उम्र-6 वर्ष, 2. सोनम कुमारी, उम्र-4 वर्ष एवं अमृता कुमारी, उम्र-2 वर्ष 6 माह जिउतिया पर्व के दिन दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 की शाम में निकरी नदी में स्नान के दौरान डूब गये तथा इन तीनों बच्चों का शव दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 को सुबह सात बजे पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉटम कराने सीवान ले गयी तथा थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी परन्तु पीड़ित परिवार को अबतक मुआवजा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री विनोद चौहान के तीन बच्चों 1. युवराज चौहान, 2. सोनम कुमारी ओर 3. अमृता कुमारी, सा० टोका दरौली के मृत्यु दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को निकरी नदी में डूबने से हो गई थी । तत्कालीन विभागीय प्रावधान के अनुसार नदी में डूबने से होने वाली मृत्यु अधिसूचित आपदा में सम्मिलित नहीं था । अतएव प्रश्नगत मामले में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है. ।

औषधि निरीक्षक का पदस्थापन

*2803. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औषधि नियंत्रण प्रशासन (स्वास्थ्य विभाग) के अन्तर्गत कटिहार जिला के बलरामपुर, बारसोई, कदवां एवं आजमनगर प्रखण्ड के लिये स्वीकृत औषधि निरीक्षक के 03 पद कई वर्षों से रिक्त रहने के कारण उपर्युक्त कार्यक्षेत्र में औषधि प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का कार्य वर्षों से नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, सरकार कबतक औषधि नियंत्रण प्रशासन (स्वास्थ्य विभाग) के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र कटिहार में 03 औषधि निरीक्षक पदस्थापित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2804. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढी (अ०जा०))--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निवर्तमान जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा एवं बेगूसराय सह-उप-निदेशक योजना एवं विकास विभाग, मुख्यालय, पटना के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट के क्रम में गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप में उन पर विभागीय कार्रवाई संचालित रहने के उपरान्त भी वे मुख्यालय में पदस्थापित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय के वित्तीय अनियमितता की निष्पक्ष जाँच तक आरोपित पदाधिकारी को विभाग से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरुद्ध निष्पक्ष जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडलीय अस्पतालों का निर्माण पूर्ण कराना

*2805. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 6 अनुमंडलों सिकरहना ढाका, रक्सौल, विरौल, गोगरी, वीरपुर, त्रिवेणीगंज में 50-50 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण कराने हेतु एक अरब पाँच करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 मार्च, 2020 निर्धारित था परंतु ढ़ाका सहित सभी 6 अनुमंडलीय अस्पताल के संवेदकों द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नहीं होने के कारण शेष बचे हुये कार्यों को करने में असमर्थता जतायी गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के सभी 6 अनुमंडलीय अस्पताल की शेष राशि उपलब्ध कराने तथा 2022-23 में अनुमंडलीय अस्पतालों को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

*2806. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के दक्षिणी उमगा में प्राचीन सूर्य मंदिर उमंगेशवरी माता मंदिर एवं शंकर-पार्वती माता मंदिर है, जहां प्रत्येक वर्ष उमगा महोत्सव मनाया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुल-पुलिया का पुनर्निर्माण

*2807. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पाँच पूर्व वर्ष नेपाल कि सीमा से जुड़े हुये मैनाटाढ़-सिकटा प्रखंड-सहित उत्तर बिहार में बाढ़ कटाव के कारण इन क्षेत्रों में पुल-पुलिया ध्वस्त हो गयी है, जिसके कारण आवागमन बाधित रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सर्वेक्षण कराकर ध्वस्त हुये उक्त पुल-पुलिया का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन केन्द्र में विकसित करना

*2808. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बोखड़ा के पंचायत पोखरैरा ग्राम में स्थित 150 वर्ष पुराना सरकोर मोहिबा के नाम से प्रसिद्ध अबदुर रहमान साहब का मजार है, जहां देश के भिन्न-भिन्न राज्यों सहित नेपाल एवं बांग्लादेश के हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन करने आते है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मजार को पर्यटन केन्द्र के रूप में कबतक विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-स्वास्थ्य केन्द्र बनाना

*2809. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगागाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत बौर के ग्राम कुटकुरी में स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं होने से ग्राम वासियों को इलाज हेतु लगभग 03 किलो मीटर दूर इंदरार स्वास्थ्य उप-केन्द्र जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पंचायत बौर के ग्राम कुटकुरी में स्वास्थ्य उप-केन्द्र बनाने का विचार

पद सृजन की कार्रवाई करने हेतु

*2810. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या 77 महिषी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 28 जनवरी, 2021 को 12:30 बजे अप० में विभागीय प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नर्सिंग संस्थानों के संबंध में संपन्न हुई बैठक की कार्यवाही की क्रम संख्या 05 नर्सिंग संस्थानों में अध्यनरत बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा दिये जाने हेतु कम्प्यूटर-सह-ट्रेनर के पद सृजन हेतु लिये गये निर्णय पर दो वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त निर्णय के आलोक में पद सृजन की कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सकीय उपकरण की व्यवस्था

*2811. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नावानगर में प्रसूति के मरीजों के लिये शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) की व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐन वक्त पर रैफर करना पड़ता है जिससे प्रसूता की जान भी चली जाती है या जाने का खतरा रहता है, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे, ई०सी०जी० मशीन, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मरीजों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) एवं एक्स-रे, ई०सी०जी० सोनोग्राफी, सीटी स्कैन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्यायालय भवन का निर्माण

*2812. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बार एसोसिएशन की स्थापना 1906 ई० में हुई जिसमें अधिवक्ताओं को बैठने हेतु भवन का निर्माण किया गया था जो कि अब जर्जर अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा व्यवहार न्यायालय में प्रतिदिन दो हजार से अधिक अधि वक्ता न्यायिक कार्य हेतु उपस्थित होते है और भवन जर्जर अवस्था में रहने के कारण दरभंगा व्यवहार न्यायालय की उपलब्ध जमीन पर खुले में जहां-जहां कुर्सी-टेबल लगाकर न्यायिक कार्य करने को विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त न्यायालय में कबतक जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों में केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अधिवक्ताओं हेतु लॉयर्स हॉल का निर्माण कराया जा रहा है । इस हेतु जिलों से मानक के अनुसार भूमि की मांग की गई है । 13 न्यायालयों में जहां मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध थी, लौयर्स हॉल निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई । दरभंगा जिले से बार एसोसिएशन के पुराने भवन को तोड़कर नये लॉयर्स हॉल (G+5) निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । तद्आलोक में बार एसोसिएशन भवन को तोड़कर भारत सरकार द्वारा लॉयर्स हॉल निर्माण के निमित्त निर्धारित राशि (रु० 80.00 लाख प्रति लॉयर्स हॉल) के आलोक में मॉडल नक्शा (GF/G+1/G+1) के अनुरूप जिला कमिटी से प्रस्ताव /NOC की मांग की गई है । जिला कमिटी से प्रस्ताव/NOC प्राप्त होते ही निर्माण संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

ड्यूटी सुनिश्चित करना

*2813. श्री मनोज मँजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, आरा के इमरजेंसी वार्ड के ओ0टी0 में ओ0टी0 लाइट एवं ओ0टी0 टेबल पर कार्डियक मॉनिटर नहीं है, इमरजेंसी वार्ड मात्र 13 बेड का है और इस अस्पताल में ई0सी0जी0, ई0सी0ओ0 एवं अल्ट्रासाउण्ड बंद है तथा जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्धारित मापदंड के अनुसार इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे एक फिजिशियन, एक सर्जन और एक आर्थोपेडिशियन डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिये, परन्तु यहाँ मात्र एक डॉक्टर ही ड्यूटी करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदर अस्पताल, आरा के इमरज़ेंसी वार्ड को तमाम सुविधाओं से लैस कर 50 बेड का करने और 24 घंटे तीन डॉक्टरों की ड्यूटी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आर्थिक मदद एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

'क'-*2814. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2023 में छपी खबर के शीर्षक ''रामकृष्णानगर शिवाजी चौक प्रखंड फुलवारीशरीफ, पटना में अचानक बिजली के शॉट सर्किट से आग लगी, 1 करोड़ का नुकसान'' के आलोक में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के रामकृष्णानगर, शिवाजी चौक पर लगी आग पर पानी डालने वाला सरकारी दमकल समय से नहीं पहुँची जिसके कारण दुकानदारों की दुकान जलने से नहीं बचाया जा सका और इससे उनलोगों का भारी नुकसान हुआ, यदि हाँ, तो सरकार सभी पीड़ित दुकानदारों को आपदा प्रबंधन से आर्थिक मदद पहुँचाने का विचार रखती है, साथ ही समय पर दमकल गाड़ी नहीं पहुँचा पाने के लिये जिम्मेवार पदाधिकारी को दंडित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल परिसर का विकास

*2815. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अवस्थित सदर अस्पताल के बाहरी परिसर में बरसात के दिनों में जल-जमाव के निकासी हेतु नाला का निर्माण एवं कैम्पस डेवलपमेंट का कार्य नहीं होने से इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नाला का निर्माण सहित परिसर को विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 1138, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा गृह विभाग में स्थानान्तरित ।

बिजली उपलब्ध कराना

*2816. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पताही प्रखंड के नुनफरवा पंचायत के नुनफरवा दलित बस्ती के संख्या 3 में 200 से अधिक उपभोक्ताओं को ट्रान्सफॉर्मर एवं बिजली का पोल, तार के अभाव में विद्युत् संचरण नहीं होने के कारण कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दलित बस्ती में शीघ्र ट्रान्सफॉर्मर, पोल और केबुल तार लगाकर सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बिजली दर का निर्धारण

*2817. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2023 में छपी खबर के शीर्षक ''बिहार में बिजली 40 फीसदी तक महंगी करने का प्रस्ताव'' के आलोक में क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उद्योगों के लिये वर्तमान में बिजली दर 7.59 से 8.40 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि झारखंड में 4 रुपये प्रति यूनिट, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में 5 रुपये प्रति यूनिट है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य विद्युत् नियामक आयोग द्वारा बिजली का ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का मानक 15 प्रतिशत तय किया है, जबकि राज्य के बिजली कम्पनियों का यह लॉस 20 से 25 प्रतिशत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिजली कम्पनियों का लॉस मानक के अनुरूप करने तथा अन्य राज्यों की तरह राज्य के उद्योगों के लिये बिजली की दर निर्धारित करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2818. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0जा0))--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड के गोलमा पश्चिमी पंचायत में दिनांक 4 जनवरी, 2023 को अभियंताओं के दल द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान श्री कपिलदेव यादव, पिता-श्री विष्णुदेव यादव, वार्ड नम्बर 4 सहित दो अन्य व्यक्तियों की विद्युत् ऊर्जा की चोरी में संलिप्तता पाई गई परंतु नवपदस्थापित कनीय अभियंता के द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् इन तीनों व्यक्तियों को बिना एफ0आई0आर0 दर्ज किये छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार दोषी कनीय अभियंता के क्रियाकलापों की जाँच कराते हुये विद्युत् चोरी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सीय जाँच की व्यवस्था

*2819. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली विधान सभा क्षेत्र के पटेढ़ी बेलसर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साईन एवं वैशाली प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदरना में स्थायी चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति नहीं है, साथ ही जाँच की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण रोगियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार इन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थायी रूप से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करते हुये चिकित्सीय जाँच की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बहाल करना

*2820. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं शिक्षित स्वास्थ्य प्रदाताओं की कमी के कारण आम जनता को समुचित स्वास्थ्य परामर्श एवं लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बतौर बहाली हेतु NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के 'जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम' के तहत ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को 'बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता' के तौर पर बहाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यय विवरणी की अद्यतन जानकारी

*2821. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत राज्य के सभी जिलों में तम्बाकू नियंत्रण लागू होने से अब बिहार में तम्बाकू का उपयोग मात्र 27% व्यस्कों द्वारा की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंडों से पंचायत स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए कानून बनाये गये हैं तथा COTPA-2003 उल्लंघन पर चालान/जुर्माना लगाने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के गाँव/शहरों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये गये कार्य जुर्माने की वसूली कानून का अनुपालन एवं वर्षवार किये गये व्यय विवरणी की अद्यतन जानकारी देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तालाब का जीर्णोद्धार कराना

*2822. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के सोनहुला, गोखुल, बड़हरा, अहिरौली, दुबोली एवं बनकटा पंचायतों के मध्य में ढेबवां गांव के पटीचक गोपी में 20 बीघा में तालाब स्थित है, जो जीर्ण-शीर्ण है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तालाब का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपाधीक्षक का स्थानांतरण

*2823. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार प्रावधानानुसार पदाधिकारियों/कर्मियों का तीन वर्ष किसी स्थान पर सेवाकाल के उपरांत स्थानांतरण करने के विरुद्ध मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास अनुमंडल स्थित फुलपरास अनुमंडल अस्पताल के वर्तमान उपाधीक्षक विगत 20-25 वर्षों से पदस्थापित हैं साथ ही अस्पताल के निकट ही निजी अस्पताल का भी संचालन कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित उपाधीक्षक का अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों ?

ट्रांसफॉर्मर लगाना

*2824. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड में कृषि कार्य हेतु लगाया गया ट्रांसफॉर्मर का तेल अज्ञात लोगों के द्वारा एक साल पूर्व ही निकाल लिया गया है, जिसके कारण किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराते हुए नया ट्रांसफॉर्मर लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधुनिक ट्रॉमा यूनिट का निर्माण

*2825. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भागलपुर में आधुनिक ट्रॉमा यूनिट नहीं रहने के कारण लोगों को निजी ट्रॉमा सेंटर में जाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आधुनिक ट्रॉमा यूनिट का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा दिलाना

*2826. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है की भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड के ग्राम+पो0-कल्याणपुर, थाना-बिहिया के स्व0 गोपाल धानुक, पिता-रामकुमार धानुक की दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, लेकिन अभीतक उनके आश्रित परिवार को कोई सरकारी सहायता राशि नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार मृतक के आश्रित को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन स्थल में विकसित करना

*2827. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत तारडीह प्रखंड में भोलेश्वर नाथ महादेव का प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ प्रत्येक दिन जिले के विभिन्न गाँवों से हजारों श्रद्धालु भक्त महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करने आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार मंदिर को पर्यटन स्थल में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*2828. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के नौतन थाना कांड संख्या 257/2022 के श्री देवराज सिंह का इलाज दिनांक 01 नवम्बर, 2022 को सदर अस्पताल, सीवान में हुआ था जिसमें सदर अस्पताल के ऑन ड्यूटी चिकित्सक द्वारा फर्जी रिपोर्ट दिया गया है जिसके विरुद्ध श्रीमती सुनैना देवी द्वारा इस प्रतिवेदन की जाँच हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीवान एवं दिनांक 3 जनवरी, 2023 को जिला पदाधिकारी, सीवान को आवेदन दी गई थी, यदि हाँ, तो सरकार प्रतिवेदन की जाँच कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना

*2829. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के जाता ग्राम पंचायत में शाह नूर खां की मजार है, जिस पर काफी संख्या में राज्य के तथा राज्य से बाहर के पर्यटक चादर चढ़ाने आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मजार को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*2830. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)-- स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में 75 साल पहले जहां हुआ था बापू की अस्थि का विसर्जन, वहां बना पर्यटन स्थल लावारिस, रास्ता तक नहीं है" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कटरियाँ गांव से तीन कि० मी० दूर गंगा-कोसी और कलबलिया के संगम पर वर्ष 2021 में 3.13 करोड़ की लागत से दो बीघा में कैफेटेरिया, गांधी समाधि स्थल, पाथ वे, गेस्ट हाउस, शौचालय आदि का निर्माण किया गया था, लेकिन आजतक गाँधी जी की प्रतिमा नहीं लगी और कराये गये कार्य भी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर गाँधी जी की प्रतिमा लगवाने के साथ क्षतिग्रस्त कार्यों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ससमय कार्य का निष्पादन

*2831. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की निधि का कार्य विभाग द्वारा अत्यन्त धीमी गति में निष्पादित किया जाने के कारण विकास कार्य बाधित हो रहा है, यदि हाँ, तो ससमय कार्य निष्पादन नहीं होने का क्या औचित्य है ?

भवन का जीर्णोद्धार

*2832. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के ताजपुर, पटखोलिया में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की स्वीकृति दो वर्ष पूर्व हुयी किन्तु आवंटित राशि इस आधार पर वापस कर दी गयी कि पहले से यह भवन निर्मित है, जबकि पूर्व से निर्मित भवन जर्जर रहने के कारण वर्तमान में उपयोग में नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्व से निर्मित जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का संचालन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आश्रितों को सरकारी मुआवजा

'ख' -*2833. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत सिरसिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 के विश्वनाथ ठाकुर की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गयी थी जिसका काण्ड संख्या 441/22, ताजपुर थाना है, परन्तु मृतक के परिजन को अभीतक सरकारी मुआवजा नहीं मिलने के कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट— 'ख'- आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 938, दिनांक 2 मार्च, 2023 द्वारा परिवहन विभाग में स्थानान्तरित ।

पर्यटक क्षेत्र में विकसित करना

*2834. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखण्ड के बाबा बजलेश्वर धाम तथा खरीक प्रखण्ड के भवनपुरा अवस्थित माता जलेश्वरी के नाम प्रसिद्ध मंदिरों पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्तों/श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों मंदिरों का सौंदर्यीकरण करते हुये पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण कराना

*2835. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा के अन्तर्गत प्रखण्ड चौसा के अधीन रामजानकी ठाकुरबाड़ी, कलाशन तथा एस०एच० 58 के बगल में कलाशन पोखर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षों से दोनों स्थानों के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया पर्यटन विभाग द्वारा चल रही है, परन्तु अभीतक कार्य पूरा नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बिजली कनेक्शन नहीं देने का औचित्य

*2836. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी एवं कोच प्रखंड में अशोका प्राईवेट कंपनी द्वारा विद्युत् की आपूर्ति की जा रही है, किन्तु कृषि कार्य के लिये किसानों को कनेक्शन नहीं दिया जाता है, जिस कारण किसान बिना कनेक्शन के खेत में पटवन करते हैं, तो लाखों रुपये की वसूली की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्राईवेट कंपनी द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु कनेक्शन नहीं देने का क्या औचित्य है ?

पावर सब-स्टेशन की स्थापना

*2837. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कल्याणपुर विधान क्षेत्र के कोटवा प्रखण्ड में एक विद्युत् पावर-सब स्टेशन है, जो पुराना हो चुका है जिसके कारण विद्युत् आपूर्ति में निरन्तर बाधा तथा संचरण संबंधी अनेक जटिलताएँ उत्पन्न होती रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रखण्ड कोटवा अन्तर्गत एक नये विद्युत् पावर सब-स्टेशन की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् सामग्रियों का बदला जाना

*2838. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सभी टोलों तक बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केबल के तार सहित डिश, इनसुलेटर, स्विच, गीयर इत्यादि जरूरी समान खराब हो जाने के बाद बदलने के लिये विभाग के पास पर्याप्त समान उपलब्ध नहीं है जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या से आमजन जूझते रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े बिजली के सामानों को एक तय समय-सीमा में बदलने हेतु कौन-सा विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि देना

*2839. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''हिमाचल प्रदेश में दरभंगा के चार बच्चे जिंदा जले'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अम्ब में दिनांक 8 फरवरी, 2023 की रात 12 बजे अचानक हुई अगलगी में दरभंगा जिला के बेनीपुर नगर परिषद् क्षेत्र के नन्दापट्टी निवासी रमेश दास के तीन बच्चे नीतू कुमारी-12 वर्ष, भोला कुमार 09 वर्ष एवं शिवकुमार 07 वर्ष तथा नगर परिषद् क्षेत्र के ही डखराम निवासी बैजनाथ तांती के 16 वर्षीय पुत्र आजाद कुमार की मृत्यु हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में आपदा घटित होने के स्थल से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान का भुगतान किया जाता है । चूँकि प्रश्नगत मामला में घटना का स्थल हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्तर्गत है । अतएव इसमें बिहार सरकार के स्तर से अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

चिकित्सकीय सुविधा बहाल करना

*2840. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के प्रा०उप-स्वा०, चैहट्टा का भवन 20 वर्ष पूर्व निर्मित है जहां कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी केन्द्र पर प्रतिनियुक्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बगैर स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के इन स्वास्थ्य उप-केन्द्र पर चिकित्सकीय सुविधा बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2841. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि BMSICL द्वारा राज्य के प्राथमिक/अतिरिक्त/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के भवन निर्माण सहित अन्य कार्य का निविदा के निष्पादन हेतु समयावधि निर्धारित है, परन्तु नियम के विपरीत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में BMSICL द्वारा कुल 436 निविदा किया गया है जिसमें 313 निविदाओं को निष्पादन निर्धारित समयावधि के विपरीत लम्बे अंतराल के बाद किया गया है उदाहरणार्थ पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं० 19,20,21 के स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रथम निविदा निष्पादन में 9 माह, द्वितीय 6 माह तथा तृतीय निविदा 4 माह से अधिक लगाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार निर्धारित समयावधि में निविदा निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने तथा इसे शत-प्रतिशत लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बिजली उपलब्ध कराना

*2842. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड के पदुमकेर पंचायत के नारायणपुर ग्राम के वार्ड संख्या 09,10,11 एवं 12 में 200 से अधिक उपभोक्ताओं को ट्रांसफॉर्मर एवं बिजली का पोल, तार के अभाव में विद्युत् संचरण नहीं होने से कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गांव के वार्डों में शीघ्र ट्रांसफॉर्मर, पोल और केबुल तार लगाकर सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण

*2843. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत पारदियारा पंचायत में स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं है, जबकि वहाँ मौजा पारदियारा, थाना नम्बर 361, खाता नम्बर 418, खेसरा नम्बर 2715, रकबा 01.00 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर स्वास्थ्य उप-केन्द्र बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*2844. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी प्रखंड में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोरी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायतपुर एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र खंडा का भवन विगत 20 वर्षों से जर्जर होने के कारण रोगियों को इलाज कराने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2845. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर विधान सभा क्षेत्र के नानपुर प्रखंड अन्तर्गत पंडौल बुजुर्ग पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तीस (30) वर्ष पूर्व से स्वीकृत है, परंतु भवन के अभाव में अ0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पंडौल बुजुर्ग वर्तमान में एक सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा है, जिससे इलाज के लिये आने वाले मरीजों के साथ कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि इस अस्पताल के लिये ग्रामीणों द्वारा बिहार सरकार के नाम से जमीन भी निबंधित कर दिया है, यदि हाँ, तो सरकार इस जमीन पर कबतक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ब्लड बैंक को समृद्ध किया जाना

*2846. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, आरा में थायराइड, विटामिन डी3, एच0बी0ए01सी0, ए0बी0जी0, सोडियम और पोटेशियम की जाँच नहीं होने के कारण मरीजों को महंगे निजी जाँच घरों में जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, आरा का ब्लड बैंक समृद्ध नहीं है, मात्र एक-दो ग्रुप का दो-चार यूनिट ब्लड ही उपलब्ध रहता है, ब्लड के लिये मरीजों को भटकना पड़ता है एवं ब्लड उपलब्ध रहने पर भी अस्पताल में ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदर अस्पताल, आरा में उक्त सभी जाँचों को शुरू करने एवं ब्लड बैंक को समृद्ध करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि विमुक्त करना

*2847. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ा बौराम प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 में MSDP योजना से 30 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगरासी का निर्माण करने की स्वीकृति के फलस्वरूप निर्माण कार्य प्रारंभ हुई, जिसका पिलिंथ कम रहने के कारण बाढ़ की पानी को अस्पताल में जाने से बचाव हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्रांक 110, दिनांक 11 मई, 2021 के द्वारा प्रबंध निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ आधारभूत संरचना निगम, पटना को पिलिंथ बढ़ाने की अनुरोध किये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल का पिलिंथ बढ़ाकर प्राक्कलन में सुधार कर दी गई है लेकिन राशि विमुक्त नहीं होने के कारण अस्पताल का निर्माण कार्य बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु राशि विमुक्त करने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना

*2848. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला स्थित माँ कात्यायनी मंदिर में हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने एवं पर्यटन की दृष्टि से आते हैं परन्तु वहाँ पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति

*2849. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड किशनगंज के मेहनगाँव अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते हैं तथा केन्द्र सिर्फ एक ए0एन0एम0 के सहारे चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति सहित अन्य कर्मी को प्रतिनियुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुकदमा का निबटारा

*2850. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार एक साल में 53 प्रतिशत बढ़ गये दिवानी मामले'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विधि मंत्रालय के अधीन डाटा संग्रह कर रही एजेंसी एन0जे0डी0जी0 की ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक दिवानी मामलों (सिविल केस) वर्ष 2021 में 56,152 केस जबकि वर्ष 2022 में 86,182 केस रजिस्टर्ड हुआ है जो पिछले वर्ष 2021 के तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि क्रिमिनल केस वर्ष 2021 में 2,78,179 और वर्ष 2022 में 3,28,240 मुकदमें निबंधित हुये है, जो वर्ष 2021 की तुलना में अत्यधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले को जल्द-से-जल्द निबटारे के लिये विचार करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । एन0जे0डी0जी0 विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन न्याय विभाग के अन्तर्गत है, जो डाटा संग्रह का कार्य करती है ।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सिविल वादों में 40.02 प्रतिशत एवं क्रिमिनल वादों में 13.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

उपर्युक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

वस्तुस्थिति यह है कि न्यायपालिका से प्राप्त निदेश/अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण, पदों का सृजन एवं अतिरिक्त न्यायालयों का गठन किया जाता है ।

जहाँतक न्यायाधीन मामलों के जल्द-से-जल्द निष्पादन का प्रश्न है, यह न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में है ।

निबंधन की कार्रवाई शुरू करना

*2851. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त अप्रैल, 2022 में फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को पदमुक्त किये जाने के फलस्वरूप नवम्बर, 2022 में फार्मेसी काउंसिल बन चुनाव सम्पन्न हुआ परन्तु अभीतक सरकार द्वारा नामित सदस्यों का मनोनयन नहीं किये जाने के कारण फार्मेसी काउंसिल में निबंधन का कार्य बंद है, जिस कारण हजारों बेरोजगार छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नामित सदस्यों का मनोनयन करते हुए निबंधन की कार्रवाई शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अर्द्धनिर्मित भवन का निर्माण

*2852. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अन्तर्गत किशनदासपुर पंचायत के ग्राम-बरोहिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य विगत 8 वर्षों से अधूरा पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरोहिया का अर्द्धनिर्मित भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2853. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, संसदीय कार्य विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय विधायकों के पत्र पर कृत कार्यवाही से एक माह के अंदर माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा क्रमशः पत्रांक 364/22, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 एवं पत्रांक 438/22, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 द्वारा माननीय मंत्री को पत्र लिखा परंतु विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी कृत कार्रवाई से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के दोनों पत्रों पर कृत कार्रवाई से अवगत नहीं कराने के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना

*2854. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड में ऐतिहासिक एवं पौराणिक भंगहा माता का मंदिर अवस्थित है, जो लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भंगहा माता स्थान को विकसित करने और श्रद्धालुओं को सुविधा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2022 को सर्वेक्षण कर प्राक्कलन तैयार करने का कार्य किया गया था, लेकिन अभीतक आगे कोई पहल नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भंगहा माता स्थान् को विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँचोपरांत कार्रवाई

*2855. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के निर्माण का कार्य बिहार राज्य स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के द्वारा कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र का नवनिर्माण विभाग द्वारा नियमों के विपरीत कराया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र का उद्घाटन दिनांक 19 फरवरी, 2023 को किया गया जिसका आमंत्रण-पत्र विभाग के स्थान पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि द्वारा वितरित किया गया है जो नियम के विरुद्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमों के विपरीत किए गए कार्यों की जांच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनु0जाति/जनजाति के अधिवक्ता की नियुक्ति

*2856. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 50,000 हजार की संख्या से अधिक अनु0जाति एवं जनजाति ऐक्ट से संबंधित मुकदमें लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनु0जाति एवं जनजाति के पीड़ित परिवार का पक्ष रखने के लिए नियुक्त अधिवक्ता अक्सर गैर-अनु0जाति एवं जनजाति के होते हैं जो उनका पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, जिस कारण दोषी मुक्त हो जाते हैं और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनु0जाति एवं जनजाति ऐक्ट से संबंधित मुकदमों को अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदा0/कर्म0 के विरुद्ध कार्रवाई

*2857. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 4674, दिनांक 15 मई, 1992 एवं परिपत्र सं0 4368, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा 50 वर्षों से अधिक आयु प्राप्त सरकारी सेवकों को कतिपय शर्तों के साथ विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता से विमुक्त का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री स्वामीनाथ मांझी, तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी (बिहार योजना सेवा), गोपालगंज द्वारा निर्धारित 50 वर्ष से अधिक आयु तथा खंड (1) में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करने के आलोक में जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1077, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 द्वारा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति की अनुशंसा योजना एवं विकास विभाग से किया गया है, परन्तु अबतक विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विलम्ब करने वाले दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सकों की उपलब्धता

*2858. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में महिलाओं को सुलभ प्रसव कराने हेतु मुकम्मल व्यवस्था है, परंतु सिजेरियन (बड़ा ऑपरेशन) करने के लिये 24 घंटा स्थायी तौर पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल में स्थायी तौर पर कबतक डॉक्टरों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन की मरम्मती

*2859. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखण्ड के रेफरल अस्पताल, चंद्रायण की स्थापना 1995 में हुयी थी, परंतु चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं होने से अबतक गरीबों को चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हुआ है, और देख-रेख के अभाव में अस्पताल का भवन गिरने लगा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक चंद्रायण रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों का पदस्थापना एवं भवन की आवश्यक मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2860. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुढ़नी के चहारदीवारी नहीं रहने के कारण यहां पशुओं का चारागाह बन गया है, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में शीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुढ़नी का चहारदीवारी बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् कनेक्शन देना

*2861. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड आलमनगर, प्रखंड चौसा, प्रखंड पुरैनी, प्रखंड उदाकिशुनगंज में बड़ी संख्या में कृषक बिजली कनेक्शन लेने के लिये आवेदन दिये हैं, परन्तु उन सभी को अभीतक कनेक्शन नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर कृषकों को विद्युत् कनेक्शन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*2862. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक 647(4), दिनांक 10 जून, 2021 एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2570सी, दिनांक 6 जुलाई, 2020 तथा विभागीय लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के परिवाद सं० 999986024092020397 एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी के परिवाद सं० 404118079082000593 तथा क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रखण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 211, दिनांक 26 जून, 2021 के आलोक में सेवानिवृत्त परिधापक का संविदा विस्तार नहीं किया जाना था, किन्तु उक्त निदेशों के बावजूद सिविल सर्जन, जिला सीतामढ़ी के द्वारा सेवानिवृत्त परिधापक का

संविदा विस्तार किया गया है, जो आज भी पदस्थापित हैं, यदि हाँ, तो सरकार नियम विरुद्ध कार्य करने वाले पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2863. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में अवस्थित अनुमंडलीय अस्पताल परिसर की चहारदीवारी का कार्य नहीं होने के कारण आवारा पशुओं सहित असामाजिक तत्वों को निर्बाध रूप से अस्पताल परिसर में आना-जाना लगा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर की चहारदीवारी कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

*2864. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखण्ड अन्तर्गत आधारपुर पंचायत के मनसारा (गांव) में कमला बाँध पूर्वी के निर्माण के दौरान 200 महादलित परिवार वर्ष 1980 से विस्थापित है, जो पुनर्वास की प्रत्याशा में पूर्वी तटबंध पर रह रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के आदेश दिनांक 19 सितम्बर, 2018 एवं जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, दरभंगा के आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2021 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक 426/गो, दिनांक 13 मार्च, 2021 द्वारा अंचल अधिकारी, गौड़ाबौराम को विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कराने का निर्देश दिये है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विस्थापित परिवारों को पुनर्वास करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुग्रह अनुदान राशि दिया जाना

*2865. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले प्रखण्ड के देवरा बंधौली, पंचायत के बघौल निवासी स्व० ललित चौपाल, पिता गनौर चौपाल की मौत दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली से बिहार आ रही बस से दरभंगा जिला के सिमरी थाना के पास सड़क दुर्घटना में हो गयी, इस संबंध में दरभंगा जिला अन्तर्गत सिमरी थाना में कांड सं० 201/2022 प्राथमिकी दर्ज है तथा ढढ़ीया पंचायत के वार्ड 8 के निवासी लक्ष्मण यादव, पिता-तपेश्वर यादव तथा राजकुमारी देवी, पति-रामशकल यादव की मौत दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को घरेलू गैस सिलिंडर ब्लास्ट के कारण हो गयी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल निर्माण कार्य पूर्ण कराना

*2866. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डी०एम०सी०एच०, दरभंगा के प्रांगण में 130 करोड़ से निर्माणधीन सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के बन जाने से दरभंगा समेत मिथिला के 10 जिलों के मरीजों को लाभ मिलेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल को 2020 में ही बनकर तैयार हो जाना था, जो अबतक नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को जल्द-से-जल्द बनवाकर मरीजों को इसका लाभ दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई से अवगत कराना

*2867. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय विधायकों के पत्र पर कृत कार्यवाही से एक माह के अन्दर माननीय सदस्यों को अवगत करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 454/22, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को एवं पत्रांक 293/22, दिनांक 4 जुलाई, 2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को पत्र दिया गया परंतु अभीतक विभाग द्वारा इसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी कृत कार्रवाई से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के दोनों पत्रों पर कृत कार्रवाई से अवगत कराने तथा अग्रेतर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तालाब के गंदे पानी की निकासी

*2868. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखंड में पापहरनी तालाब है जहाँ पर हजारों पर्यटक मंदार महोत्सव में भ्रमण के दौरान स्नान करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब के पानी का अनेकों वर्षों से निकासी नहीं होने से गंदा एवं बदबूदार हो गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रश्न के आलोक में विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार के पत्रांक 15/2021-465, दिनांक 25 फरवरी, 2022 के द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा मेसर्स आर्च एंड डिजाइन, पटना को उक्त कार्य हेतु डी0पी0आर0 बनाने का निर्देश दिया गया था लेकिन आजतक कोई कार्य नहीं हुआ ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पापहरनी तालाब में पानी निकासी एवं स्वच्छ जल भरने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल में विकसित किया जाना

*2869. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड के ग्वालपाड़ा पंचायत के नौहर गाँव में गुप्तकालीन प्राचीन शिलालेख अवस्थित है, जिन पर अनेक देवी, देवताओं के चित्र अंकित है, जहाँ हजारों लोग नियमित रूप से पूजा-अर्चना करते हैं, परन्तु उक्त स्थल पर मूलभूत सुविधा नहीं रहने के कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

*2870. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंडान्तर्गत कोकरसा पंचायत के रूस्तमपुर गाँव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं है, जिस कारण मरीजों को प्राथमिक उपचार हेतु दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रूस्तमपुर गाँव में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*2871. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में विद्युत् निश्चय योजना के तहत हर घर को विद्युत् का संबंधन देना है, परंतु भागलपुर शहर की निवासी श्रीमती राधा मिश्रा, आई0 डी0 संख्या (2241004360) सहित 50 से अधिक आवेदकों को विगत 3 वर्षों से आवासीय विद्युत् संबंधन नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिजली का कनेक्शन देना

*2872. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के बथौली, मैदा बभनगामा, सहुरी एवं नींगा पंचायतों के हजारों किसानों को अभीतक बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सात निश्चय के अन्तर्गत हर खेत में किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु बिजली की आपूर्ति के लिये अभियान चलाया गया है परन्तु किसानों द्वारा दिये गये आवेदन पर आजतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है जिस कारण सिंचाई के अभाव में फसल की बुआई नहीं हो सकी है और किसान भूखमरी के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के किसानों को उनके आवेदन के आलोक में बिजली का कनेक्शन दिये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के बथौली, मैदा बभनगामा, सहुरी एवं नींगा पंचायतों में कैम्प में 60 आवेदन एवं सुविधा पोर्टल के माध्यम से 83 आवेदन प्राप्त हुये, जिसके विरुद्ध जनवरी, 2023 तक 75 कृषि विद्युत् संबंध प्रदान किये जा चुके हैं । कैम्प में प्राप्त आवेदनों के लिये संरचना का निर्माण करते हुये तैयार संरचनाओं की परिधि में इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत् संबंध देने का कार्य मुख्यमंत्री कृषि विद्युत् संबंध योजना के आकार के अनुरूप किया जा रहा है । योजना का कार्य अँतिम चरण में है ।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' के अन्तर्गत विद्युत् पम्प सेटों के माध्यम से पटवन हेतु विद्युत् संबंध प्रदान करने के लिये डेडिकेटेड कृषि फीडर की व्यवस्था एवं पटवन हेतु अतिरिक्त विद्युत् संबंध प्रदान करने के लिये संरचना के निर्माण हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना स्वीकृत है इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है । कार्यादेश निर्गत करने का लक्ष्य मार्च, 2023 है । तदुपरान्त संरचना का निर्माण करते हुये सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन दिया जा सकेगा ।

माननीय विधायक के अनुशंसा पर कार्य का प्रावधान

*2873. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय सांसद एवं माननीय विधायक समान रूप से जनता के हित में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक ही क्षेत्र में जनहित से जुड़े कार्य के अनुशंसा में माननीय सांसद एवं माननीय विधायक का अधिकार भिन्न होता है, कुछ योजना जिसको माननीय सांसद द्वारा अनुशंसा किया जाता है, परन्तु माननीय विधायक को उससे वंचित किया गया है, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश हेतु परियोजना, शिशुसदन एवं आँगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक शौचालय, हाई स्कूल में जिम की अनुशंसा माननीय सांसद करते हैं परन्तु विधायक लोगों को इससे वंचित किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समरूप योजनाओं को माननीय विधायक के अनुशंसा पर कराये जाने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम से एक बहुआयामी विकास योजना वर्ष 2011-12 से संचालित है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के लिये आधारभूत संरचनाओं का विकास है ।

इस योजना के लिये राशि का प्रावधान राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभाग के बजट में किया जाता है । यह योजना अपने वर्तमान स्वरूप में पूर्व में चलाये गये विधायक ऐच्छिक कोष योजना से भिन्न है । उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका, 2014 में सम्मिलित योजनाओं की सूची में समय-समय पर कतिपय योजना को सम्मिलित किया गया है ।

जबकि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद सदस्य द्वारा योजनाओं का चयन साख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु विकासात्मक कार्यों का सम्पादन है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

विशेषज्ञ चिकित्सकों को बहाल करना

*2874. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0 जा0))--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2023 में छपी खबर के शीर्षक ''रिपोर्ट बिहार सहित देश के 25 राज्यों में विशेषज्ञ डाक्टरों की 70 प्रतिशत तक कमी'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों विशेषज्ञ चिकित्सकों के 70 प्रतिशत पद रिक्त रहने के कारण ग्रामीणों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा से वंचित होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को बहाल कर पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इलाज की सुविधा बहाल करना

*2875. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''ब्लड कैंसर, लीवर ट्रांसप्लांट, यहां नहीं है इलाज'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विहार के आई0जी0आई0एम0एस0, पी0एम0सी0एच0, एम्स, एन0एम0सी0एच0 सहित अन्य बड़े अस्पतालों में ब्लड कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट सहित अन्य घातक बीमारी का इलाज नहीं होने के कारण मरीजों को दिल्ली, मुम्बई आदि बड़े शहरों में इलाज कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन अस्पतालों में कैंसर एवं लीवर ट्रांसप्लांट जैसी घातक बीमारी के इलाज की सुविधा बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सकों की पदस्थापना

*2876. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अंतर्गत महिषी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत पदों के विरूद्ध चिकित्सकों की कमी के कारण बड़ी तादाद में आने वाले मरीजों के समुचित इलाज में अस्पताल कर्मियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलना

*2877. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत डडारी प्रखंड के कटरमाला उतरी सिसौनी में स्वास्थ्य उप-केंद्र नहीं रहने के कारण लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए 10 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कटरमाला उत्तरी सिसौनी पंचायत में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पद पर पदस्थापन

*2878. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया में सहायक औषधि नियंत्रक का पद विगत चार माह से रिक्त होने के कारण आम जनता को परेशानीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक औषधि नियंत्रक के रिक्त पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास गृह का निर्माण एवं पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराना

*2879. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर में प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर है, जहां लाखों लोग प्रतिवर्ष पूजा करने आते हैं, परंतु मंदिर के पास राज्य सरकार का एकमात्र होटल होने तथा अन्य पर्यटकीय सुविधा नहीं होने से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मंदिर के आस-पास होटलों का निर्माण एवं अन्य सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बाल्मीकि जी का मूर्ति स्थापित करना

*2880. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह (क्षेत्र संख्या-1 बाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड के बाल्मीकिनगर के गोल चौक पर बाल्मीकि आश्रम पर्यटन की दृष्टिकोण से विश्वविख्यात स्थान है, यदि हाँ, तो सरकार बाल्मीकिनगर के गोल चौक में बाल्मीकि जी की मर्ति कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण

*2881. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली प्रखण्ड के लक्ष्मीपुर गिरधर पंचायत में स्वास्थ्य उप-केन्द्र, बहदुरा में भूमि उपलब्ध है, परन्तु इस स्वास्थ्य उप-केन्द्र का भवन निर्माण नहीं होने से क्षेत्र के रोगियों को ससमय चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र, बहदुरा में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर पदस्थापना

*2882. श्रीमती नीलम देवी (क्षेत्र संख्या-178 मोकामा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ट्रॉमा सेन्टर, मोकामा में कुल स्वीकृत चिकित्सकों की संख्या 12 के विरूद्ध सिर्फ 6 सामान्य चिकित्सक पदस्थापित हैं तथा परिचारिका श्रेणी ए की कुल स्वीकृत संख्या 25, टेक्निकल चिकित्सा कर्मी की कुल स्वीकृत संख्या 11, लिपिक की कुल स्वीकृत संख्या 12 एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की कुल स्वीकृत संख्या 13 के विरूद्ध मात्र 2 कर्मचारी पदस्थापित हैं जिस कारण आकस्मिक रोगी को इलाज के लिए 125 कि0मी0 दूर पी0एम0सी0एच0 जाना पड़ता है और ज्यादातर रोगी बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर सभी पदों से संबंधित रिक्तियों के विरूद्ध जनहित में कबतक पूर्ण रूप से पदस्थापित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2883. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर एवं नया टोला में अवैध रूप से बिना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एवं बिना वैध रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउण्ड का कार्य किया जा रहा है एवं लिंग परीक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउण्ड संचालकों द्वारा गलत रिपोर्ट देने के कारण दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को हंगामा हुआ था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउण्ड संचालकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कठिनाइयों का निराकरण

*2884. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियापुर अुनमंडल अन्तर्गत स्थित कांठो पंचायत के मटेश्वर स्थान, महिषी प्रखंड के माँ उग्रतारा मंदिर एवं महपुरा पंचायत स्थित कारू बाबा स्थान में आनेवाले श्रद्धालुओं के लिये विश्रामालय, बैठने के लिये बेंच, शौचालय सहित स्नानघर एवं रौशनी हेतु लाइटों आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण आगंतुक श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कठिनाइयों का निराकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*2885. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के अंदर 172 एवं बाहर 118 लोगों की कोरोना के चलते हुये मौत के मुआवजा हेतु जिला स्वास्थ्य समिति एवं आपदा प्रबंधन विभाग, गोपालगंज तथा कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सितम्बर, 2021 में ही पत्र प्रेषण के बाद भी मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मुआवजा का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युतीकरण का कार्य कराना

*2886. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के अररिया प्रखंड अन्तर्गत हयातपुर पंचायत के वार्ड नं० 8 चक्रदह गांव में दाउद के घर से जाबिर के घर तक विद्युत् पोल एवं 440 वोल्ट का तार नहीं रहने के कारण लगभग 200 परिवार विद्युत् लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थान में विद्युतीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमित विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था

*2887. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने 16 के०बी०ए० के ट्रांसफॉर्मर को 100 के०बी०ए० से बदलने का निर्णय लिया है यदि हाँ, तो क्या सरकार किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के सभी गाँव में लगाये गये 16 के०बी०ए० ट्रांसफॉर्मरों की जगह 100 के०बी०ए० का ट्रांसफॉर्मर लगाकर नियमित विद्युत् आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*2888. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के लाखों पंचायतों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक वर्ष से बन कर तैयार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द करने के बावजूद अबतक चालू नहीं किये जाने के कारण हजारों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वँचित है, साथ ही मरीजों को इलाज हेतु 07 कि०मी० की दूरी तय कर जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में या प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराना पड़ता है, जिसमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को चालू कराते हुये विलंब की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बिजली पहुँचाने की व्यवस्था करना

*2889. श्रीमती नीलम देवी (क्षेत्र संख्या-178 मोकामा)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखण्ड के मरांची से लेकर बाहापर (रेलवे लाइन) के पश्चिम) तक आजादी के बाद से अभीतक बिजली नहीं पहुंची है, जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि पर किसानों को पटवन करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल में विकसित करना

*2890. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखण्ड स्थित ग्राम-हल्दी, छपरा में सोन, सरयुग एवं गंगा नदियों का संगम स्थल है, जहां हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष पर्यटक आते हैं, परन्तु पर्यटकीय सुविधा नहीं रहने से पर्यटकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करते हुये विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2891. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड के कोल्हासार पंचायत में कधार एवं बौसी प्रखंड के सांगा पंचायत में खिजुरमुडिया एच०एस०सी० (हेल्थ सब सेंटर) भवन विहीन है जबकि उक्त प्रखंडों के पंचायतों में एच०एस०सी० निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के पंचायतों के ग्रामों में एच०एस०सी० (हेल्थ सब सेंटर) के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध कब्जा से मुक्त करना

*2892. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् का प्रशासी विभाग विधि विभाग, बिहार सरकार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड अन्तर्गत सुप्रसिद्ध बाबा धनेश्वर नाथ ऐतिहासिक एवं पौराणिक मंदिर है, जिसे जिला पदाधिकारी, गोपालगंज में ज्ञापांक 3395, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 द्वारा अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् से बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास को हस्तांतरित करने हेतु पत्र लिखा गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर के खेसरा नं० 8172 में गौरा-पार्वती एवं खेसरा नं० 8173 में महादेव (इन्द्राज) के नाम से दर्ज है, उक्त भू-खण्ड पर अवैध कब्जा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद्, पटना को हस्तांतरित करते हुये मंदिर के भू-खण्ड को अवैध कब्जा से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने पत्रांक 3395, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के साथ श्री मंजीत कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं प्रदेश महासचिव, जदयू के पत्रांक-शून्य, दिनांक 8 सितम्बर, 2020 से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुये अनुरोध किया कि पत्र मे वर्णित बाबा धनेश्वर नाथ (सिंगासनी मंदिर) को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना को हस्तांतरित करने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाय । उक्त पत्र के साथ मदिर में कौन-कौन सी भूमि है, उसका कोई वर्णन नहीं किया गया है । मालगुजारी रसीद मंगलगिरि के नाम से है और उस पर 7 बीघा 3 कट्ठा 19 धूर भूमि दर्ज है । खाता संख्या 1818 अनुराग गिरि एवं अन्य के नाम पर है, जिसका खेसरा संख्या 8172 पर गौरा-पार्वती एवं खेसरा नं० 8173 में अस्थान मंदिर महादेव दर्ज है । मंदिर के नाम से भूमि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा पत्रांक 2677, दिनांक 1 दिसम्बर, 2021

पत्रांक 1950, दिनांक 24 नवम्बर, 2020, पत्रांक 2697, दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं पत्रांक 1974, दिनांक 16 जुलाई, 2021 द्वारा अंचल अधिकारी, बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज से न्यास के प्रबंधन आय एवं धारित चल-अचल सम्पत्ति (खाता, खेसरा एवं रकबा सहित अभिलेख पंजी 2 से मिलान कर) एक प्रतिवेदन पर्षद में निबंधन के लिये मांग की गयी किन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण निबंधन की कार्रवाई पर्षद मे नहीं हो पाया है । पुनः अंचल अधिकारी, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज से पर्षदीय पत्रांक 4330, दिनांक 18 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिवेदन एंव मँदिर के फोटो की मांग की गयी है ।

(3) खाता संख्या 1818 अनुराग गिरि एवं अन्य के नाम पर है, जिसका खेसरा संख्या 8172 पर गौरा-पार्वती एवं खेसरा नं० 8173 में अस्थान मंदिर महादेव दर्ज है। उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पर्षदीय पत्रांक 4331, दिनांक 18 मार्च, 2023 द्वारा जवाब मांगा गया है ।

(4) जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/अंचल अधिकारी, बैकुण्डपुर, गोपालगंज से प्रतिवेदन तथा फोटो प्राप्त होते ही इस न्यास के बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में पंजीकरण/अवैध कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 31 मार्च, 2023 (ई०)।

बि०स०मु० -110 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550